

रेरा-पुरस्कार योजना

1. यह योजना भू-संपदा (रियल इस्टेट) के क्षेत्र में उन अपूर्ण या प्रगतिरत् परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जो अभी भी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा प्राधिकरण) में अपंजीकृत हैं।
2. किसी परियोजना के रera में अपंजीकृत होने से संबंधित जानकारी को तभी वैध और विचारयोग्य माना जायेगा जब इसमें बिल्डर/संप्रवर्तक का नाम, उसका पता और संपर्क विवरण, भूमि का विवरण जहां ऐसी परियोजना स्थित हैं, के साथ-साथ परियोजना स्थल के कुछ फोटोग्राफ भी शामिल हो।
3. किसी परियोजनाओं के रera प्राधिकरण में अपूर्ण होने की जानकारी को प्राधिकरण के साथ वॉटस एप नम्बर 8989880123 पर प्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसे RERA.REWARD@gmail.com पर मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है तथा इसे प्राधिकरण के कार्यालय में सचिव रera भवन, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल-462016 को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
4. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
5. उक्त योजना में रera प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। योजना की वैधता 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक रहेगी।
6. जहां किसी प्रतिभागी द्वारा किसी अपूर्ण परियोजना के संबंध में प्रेषित जानकारी के परीक्षण उपरांत उस परियोजना के रera प्राधिकरण में पंजीयन नहीं होने की पुष्टि होती है वहां ऐसे प्रतिभागी को एक हजार रुपये के पुरस्कार की पात्रता होगी तथा उसका नाम पात्र प्रतिभागियों की सूची में जोड़ा जावेगा। इस पात्र प्रतिभागियों की सूची में से प्रति 3 माह में एक पात्र प्रतिभागी का चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। लकी ड्रा में चयनित पात्र प्रतिभागी को पूर्व के पुरस्कार के अतिरिक्त राशि रुपये 10,000/- प्रदान की जावेगी।

7. यदि किसी अपंजीकृत परियोजना की जानकारी एक से अधिक बार प्राप्त होती है तो केवल प्रथम प्राप्त जानकारी ही पुरस्कार हेतु विचारण में ली जायेगी।
8. किसी प्रतिभागी द्वारा असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में, प्राधिकरण को उसे योजना में लाभ लेने से अपात्र करने का अधिकार होगा।
9. योजना के संबंध में किसी तरह की आपत्ति या विवाद की स्थिति में, प्रकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

RERA- REWARD SCHEME

1. This scheme has been designed with the objective of securing information about those incomplete or ongoing real estate projects which are still unregistered in the REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY (henceforth referred to as RERA).
2. Information regarding 'RERA- unregistered projects would be considered valid and worthy of consideration for reward if it includes such details as name of builder/developer, his address & contact details, land details where such projects is situated, along with some photograph of project-site.
3. Information regarding RERA- unregistered real estate projects can be shared with RERA through Whatsapp at number 8989880123. It can also be shared with RERA via mail at RERA.REWARD@gmail.com. It can also be sent via registered post addressed to Secretary (RERA), RERA Bhavan, Main Road No 1, Bhopal-462016.
4. Identity of the informant will be kept confidential and won't be shared with anyone.
5. The scheme is open to all Indian citizens except employees and officers of RERA. The validity of the scheme is from 1st January, 2019 to 31st March, 2019.
6. If information submitted by the participant is found to be about a RERA-unregistered project then such participant shall be eligible for prize money of one thousand rupees (Rs 1,000), and name of the participant will also be added to the list of participants eligible to participate in lucky draw to be conducted at the end of quarter. The lucky winner will get Ten thousand rupees (Rs 10,000/-) in addition to the earlier reward.
7. In case information about the same unregistered project is received from more than one source, then only the first such one shall qualify.
8. Authority reserves the right to disqualify any participant at its sole discretion, including if the participant is found to have provided any untruthful, inaccurate or misleading information.
9. In case of any dispute or objections regarding the scheme, matter will be referred to the Chairman (RERA) whose decision would be final and binding upon all concerned.